

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्य प्रदेश

क्र.01/विज्ञप्त/सेल-संविदा/2018/

भोपाल, दिनांक /10/2018

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
जिला छिन्दवाड़ा ।

विषय - एम0डी0एस0 अध्ययन हेतु आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति ।

—000—

डॉ राधा भकने, दंत चिकित्सक, सिविल अस्पताल पांढूना, जिला छिन्दवाड़ा को एम्स द्वारा आयोजित एम0डी0एस0 प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यदि एम0डी0एस0 अध्ययन हेतु चयन होता है तो डॉ राधा भकने, नियमानुसार अध्ययन अवकाश हेतु आवेदन प्रस्तुत करेंगी एवं अनुमति प्राप्त होने के उपरांत अध्ययन हेतु प्रस्थित होंगी।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य  
सेवाएँ, मध्यप्रदेश

पृ0 क्र.1 जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/2018/1683

भोपाल, दिनांक/6/10/2018

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल ।
2. क्षेत्रिय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग, जबलपुर, म0प्र0 ।
3. असिस्टेंट कन्ट्रोलर ऑफ एकजामिनेशन सेक्शन, एम्स, अंसारी नगर, नई दिल्ली, 110608 ।
4. संबंधित चिकित्सक की ओर पालनार्थ ।
5. प्रभार एम0आई0एस0, स्थानीय कार्यालय, भोपाल, म0प्र0 ।

DL

16/10/18

अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ,  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2018 /

भोपाल, दिनांक / / 2017

// आदेश //

संचालनालय के आदेश क्रमांक 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2017 / 1065-66 दिनांक 22.02.2017 के तहत डॉ० राजेन्द्र कुमार अहिरवार, चिकित्सा अधिकारी, जिला टीकमगढ को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, वर्धा नागपुर (महाराष्ट्र) से स्नात्कोत्तर पी.जी.डिग्री पाठ्यक्रम एम.डी. (community medicine) में 3 वर्ष का डिप्लोमा करने हेतु पाठ्यक्रम आरंभ होने के दिनांक से आगामी 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश की स्वीकृति/अनुमति प्रदान की गई थी।

डॉ० राजेन्द्र कुमार अहिरवार, चिकित्सा अधिकारी, जिला टीकमगढ द्वारा 01 वर्ष के अवकाश का निराकरण करने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त पाठ्यक्रम 3 वर्ष का होने के कारण विचारोपरांत डॉ० राजेन्द्र- कुमार अहिरवार, चिकित्सा अधिकारी, जिला टीकमगढ को अध्ययन अवकाश नियम-45 के अनुसार 4 माह कुल 120 दिन अध्ययन अवकाश एवं अवकाश खाते अनुसार 211 दिवस का अर्जित अवकाश तथा 96 अर्द्धवेतनिक अवकाश में से  $34 \times 2 = 68$  दिवस का अर्द्धवेतनिक अवकाश इस तरह कुल 365 दिवस (01 वर्ष) का अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित-

एस// -

(विवेक श्रोत्रिय)


अपर संचालक(प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2017 / 1673

भोपाल, दिनांक 16 / 10 / 2017

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
02. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
03. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सागर संभाग सागर, मध्यप्रदेश।
04. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला टीकमगढ, म०प्र०
05. जिला कोषालय अधिकारी, जिला टीकमगढ, म०प्र०
06. डॉ० डॉ० राजेन्द्र कुमार अहिरवार, चिकित्सा अधिकारी, जिला टीकमगढ, म०प्र० की ओर पालनार्थ।
07. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।



15/10/17

अपर संचालक(प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्यप्रदेश